

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलक्टर मुकाम : दौसा
चेतराम वगै० बनाम तहसीलदार लवाण वगै०

किस्म मुकदमा— स्थानान्तरण प्रा०पत्र

नम्बर 20—सन्— 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.2025	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० 2 ने बहस में दलील दी कि पीठासीन अधिकारी तहसीलदार लवाण के पद पर श्री राकेश जैन कार्यरत नहीं है। पीठासीन अधिकारी तहसीलदार लवाण के पद पर अन्य अधिकारी कार्यरत है। जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उनका अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से अब यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण व राजकीय अधिवक्ता ने उक्त स्थानान्तरण प्रा०पत्र को खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। श्री राकेश जैन, तहसीलदार लवाण के विरुद्ध यह स्थानान्तरण प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है वे वर्तमान में तहसीलदार लवाण के पद पर कार्यरत नहीं है। अतः स्थानान्तरण प्रा.पत्र विचाराधीन रखे जाने का अब कोई औचित्य नहीं रहा गया है। अतः स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेशिका की प्रति तहसीलदार लवाण को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।</p>	<p>तहसीलदार लवाण श्री राकेश जैन 2092 फरमाया 14/08/2025 इस प्रार्थना पत्र को खारिज</p>



जिला कलक्टर
दौसा

